

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/

दिनांक- 23.04.2016

समस्त जिला कलेक्टर  
राजस्थान।


विषय: - भामाशाह योजना के प्रशासनिक प्रतिवेदन में नोट अंकन बाबत।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है दिनांक 24.04.2016 को सभी ग्राम सभाओं में भामाशाह योजना का सामाजिक अंकेक्षण हेतु योजना का प्रथम प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रशासनिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 2 पर यह नोट भी अंकित करावें कि "ऐसे लाभार्थी जो भामाशाह योजना से नहीं जुड़े हैं उन्हें सभी लाभ संबंधित विभागों द्वारा पहले की तरह दिए गए हैं उनको दिए गए लाभों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है।"

भवदीय



(अखिल अरोरा)  
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/  
प्रतिलिपि:-

दिनांक- 23.04.2016

1. वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.....
3. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.....
4. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.....



(ओम प्रकाश बैरवा)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव